संख्या – 89/अरसठ-3-2018-2041/2018

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 11 जनवरी, 2019

विषय - अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता के संबंध में निर्देश

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या- शि0नि0(बे0)/68381/2018-19 दिनांक- 19.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है की अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालय की मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में मानक व शर्तें शासनादेश संख्या-937/15-6-90-18 एस (7)/89, दिनांक 02 जुलाई 1990 द्वारा निर्धारित की गयी थी! इस क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 02 जुलाई 1990 एवं मान्यता संबंधित पूर्व में निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-13 एस (7)/89 दिनांक 8 मई. 2013 तथा 419/79-6-2013-13 एस 7/89 दिनांक 18 मई, 2013 द्वारा मान्यता संबंधित मानकों एवं शर्तों का पुनः निर्धारण किया गया था।

2- निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 एवं राज्य सरकार द्वारा पारित निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली- 2011 में विहित प्राविधानो के दृष्टिगत प्रदेश में अशासकीय सहायता विद्यालयों की मान्यता संबंधित नियमावली एवं पूर्व में निर्गत विभागीय निर्देशों को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है अतः सम्यक विचारोंप्रांत अशासकीय विद्यालयों की मान्यता के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम- 1972 की धारा- 13 की उपधारा- 1 के आधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अशासकीय जूनियर हाई स्कूल को अस्थाई/ स्थाई मान्यता प्रदान करने के नियमों को नियमानुसार बनाएं जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

I- अशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (नवीन) की मान्यता प्राप्त हेतु मानक एवं शर्तें

(1) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।

(2) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबंधाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा जिन व्यक्तियों में अध्यापन के लिए ऐसे विद्यालयों को मान्यता दी गई हो उसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्णित ईस्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

Scanned with CamSca

(4) मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाएगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।

(5) सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन के व्यवस्था की जाएगी।

(6) मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा कि वह समय-समय पर निर्गत शासनादेशो, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करेगा।

(7) भारत के संविधान में प्रावधान ईट राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय ध्वज सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों के संक्रांति के लिए प्रावधान इस नीतियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(8) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जाएगा परंतु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

(9) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनीतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।

(10) विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय के नाम मान्यता का वर्ष विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम तो स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा अधिकतम 2 वर्ष में विद्यालय भवन में रंग रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

(11) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खंड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उचित स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(12) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मंडलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक संख्या एवं सूचनाएं निर्देशानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(13) विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1) (सी) के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने का शपथ पत्र दिया जाएगा।

(14) आवेदन के आहर्ता:- शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसायटी /ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निजी प्रबंधन तंत्र द्वारा संचालित विद्यालय को निम्न प्रकार की संस्था के रूप में मान्यंता प्रदान की जाएगी:-

(1) प्राथमिक विद्यालय- (प्राथमिक स्तर 5 की कक्षाएं)।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक/बालिका) (जूनियर हाईस्कूल स्तर के 3 कक्षाएं)।

(15) शिक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी भाषा होगी तथा अंकों के अंतराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी।

(16) विद्यालय में सभी वर्ग धर्म जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

(17) **प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की मान्यता**:- इसके लिए उपयुक्त शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:-

(क) **भवन** :- विद्यालय सोसायटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जा सकता है। स्थानीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत या विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत मान्यता के लिए उन्ही प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जहां पर महायोजना/सेक्टर प्लान में भू-उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होगा। विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा विद्यालय भवन के संबंध में संबंधित सहायक अभियंता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। विद्यालय में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा निरीक्षण हेतु मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भवन निर्माण

Scanned with CamSca

का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता से अनिम्न अधिकारी के द्वारा कराया जाएगा निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप एवं ठंड से बचाव के पर्याप्त व्यवस्था की गई है कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त है एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन के बीडियो एवं रैंप जो निकास मार के रूप में प्रयुक्त हो रही हो अद्यतन नेशनल बिल्डिंग कोड में निर्धारित मानक के अनुसार बनाई गई हो ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(ग) दिव्यांग बच्चों के विद्यालय में सुगम पहुंच हेतु भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेश एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूर्णता अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा विद्यालय भवन की मजबूती सुरक्षा एवं रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधतंत्र का होगा।

(घ) विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

(ङ) **कक्षा-कक्ष का मानक**: मान्यता के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 9 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए परंतु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों की बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जिससे बच्चे कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों सुविधा पूर्ण ढंग से संचालित कर सके विद्यालय में उतने ही छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाए जिसके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।

(च) विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

(छ) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिए अलग अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

(ज) छात्र-छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओ के प्रथक प्रथक मूत्रालय शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(झ) विद्यालय में पीने का स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ञ) **क्रीड़ा स्थल:-** खेलकूद के लिए विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप पर्याप्त क्रीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र-छात्राएं कर सकते हो।

(18) **पुस्तकालय साज सज्जा एवं उपकरण:-** विद्यालय में छात्रोंपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त खेलकूद का सामान, मानचित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं आदि का होना भी आवश्यक है विद्यालय में पाठ्यक्रम अनुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शा ग्लोब विषय से संबंधित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। द्रश्य एवं श्रव्य उपकरण (Audio-vidual instruments) आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।

(19) **आवेदन शुल्क:-** प्राथमिक स्तर के मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रु 10000/- तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए रुपए 15000/- संबंधित जनपद के राजकीय कोषागार में संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाएगा।

(20) **सुरक्षित कोष:-** प्राथमिक विद्यालय हेतु सुरक्षित कोष के रूप में रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के एन0एस0सी0/एफ0डी0 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) के एन0एस0सी0/एफ0डी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज्ड होगी।

(21) मान्यता समिति प्राथमिक विद्यालय की मान्यता पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाएगा:-

1-	संबंधित जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-	अध्यक्ष
2-	संबंधित जिले के मुख्यालय पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी –	सदस्य/सचिव
3-	संबंधित जिले के प्राचार्य डायट द्वारा नामित प्रवक्ता-	सदस्य

Scanned with CamSca

मान्यता समिति की बैठक निर्धारित समय सारणी के अनुसार संपन्न होगी जिसके आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के मान्यता आदेश निर्गत किए जाएंगे।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाएगा:-

1-	मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	अध्यक्ष
2-	संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
3-	जनपद के मुख्य मुख्यालय पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी	सदस्य

मान्यता समिति की बैठक के निर्धारित समय सारणी के अनुसार संपन्न होगी तथा बैठक का कार्यवृत्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा अपने कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा कार्यवृत्त की प्रतियां संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो उपलब्ध कराई जाएगी जिसके आधार पर विद्यालय विद्यालयों की मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किए जाएंगे।

(22) **स्टाफ:-** मान्यता के पश्चात विद्यालय में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।

(23) **कर्मियों को देय वेतन:-** मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मियों का वेतन भुगतान प्रबंध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोत से किया जाएगा।

(24) **शिक्षकों के अहर्ता:-** प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जाता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधन) में निहित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 (यथासंशोधित) के अनुसार होगी।

(25) **पाठ्य पुस्तके:-** मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।

(26) **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति:-** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग सेक्शन ना खोला जाएगा और ना ही बंद किया जाएगा ना समाप्त किया जाएगा और ना ही स्थानांतरित किया जाएगाकिसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

(27) विद्यालय बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं अनुसूची में वेद स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(28) विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षा वार एवं विषय वार अधिगम स्तर एससीईआरटी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखना अनिवार्य होगा।

(29) प्राथमिक प्राइमरी उच्च प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल के शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्तपोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(30) शुल्क/फीस:- मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जाएगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन अनुरक्षण व इससे संबंधित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्का महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात आय के 20% से अधिक बचत नाव शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि 3 वर्ष तक नहीं थी शुल्क में जब वृद्धि की जाएगी वह 10% से अधिक नहीं होगी विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:-

1- शिक्षण शुल्क 2- महंगाई शुल्क 3- विकास शुल्क 4-बिजली पानी आदि 5-क्रीडा शुल्क 6-परीक्षा/मूल्यांकन 7- विद्यालय समारोह/उत्सव 8-विशेष विषयों क्री शिक्षा कंप्यूटर संगीत आदि।

Scanned with CamSca

नोट :- पंजीकरण शुल्क भवन शुल्क तथा कैपिटैसन के रूप में कोई 30 विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा विद्यालय प्रबंधन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा।

II- **पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय हेतु मानक एवं शर्तें:-**

(1) यदि विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रम में उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 लागू होने के पूर्व एवं इस शासनादेश के निर्गमन के पूर्व मान्यता प्राप्त एवं संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 1 वर्ष के अंदर उपर्युक्त प्रस्तर-2-(1) में वर्णित शर्तों को पूरा करते हुए सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है उन विद्यालयों का संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 माह के अंदर स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा।

(3) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 30 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गई है उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जाएगा विवादित मामलों में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) से आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

(4) संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जाएगी जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं ऐसे विद्यालयों को कमियों के संबंध में सूचित किया जाएगा तथा विद्यालय बार कमियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाएगा कमियों का निराकरण निर्धारित अवधि में संबंधित प्रबंध तंत्र के द्वारा अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा।

(5) उपर्युक्त अनुसार अवसर दिए जाने के उपरांत भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने के उपरांत इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्यायन की कार्यवाही की जाएगी लेकिन कार्यवाही करने से पूर्व प्रश्नकाल विद्यालय को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

III- **मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारणी**

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र 1 के अनुसार 100 घोषणा से आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जाएगा तथा मान्यता संबंधी आवेदन पत्र का निस्तारण समय सारणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जाएगा।

1	सम्बंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना	1 अप्रैल से 30 सितम्बर
2	विलम्ब शुल्क रु0 10000/- के साथ जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना	1 अक्टूबर से 31 दिसंबर
3	आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण	आवेदन की तिथि से 2 माह के अन्दर
4	साथ जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी द्वारा संस्था को कमी/शर्तें पूरी करने हेतु सूचित किया जाना	निरीक्षण की तिथि से 15 दिन के अन्दर
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण उपरांत आवेदन पत्र के संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना।	निरीक्षण प्राप्त होने के पश्चात 1 माह के अन्दर

Scanned with CamSca

6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना	मान्यता समिति की संस्तुति के 3 दिन के अन्दर

नोट:- मानवता समिति के बैठक प्रत्येक में आहूत की जाएगी निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को आहूत बैठक में परीक्षण उपरांत निर्णय लेकर मान्यता समिति द्वारा संस्तुति दी जाएगी तत्पश्चात मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर अगले आवत बैठक में परीक्षण उपरांत निर्णय लेकर मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किए जाएंगे।

IV- **अस्थाई स्थाई मान्यता :-**

निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत औपबंधिक मान्यता प्रथम तथा 1 वर्ष के लिए दी जाएगी 1 वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों और शर्तों का पुनः परीक्षण किया जाएगा और पार्टी के अनुसार विद्यालय चलाते रहने पर 1 वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान कर दी जाएगी।

V- **विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण:-**

(1) जहां जिला शिक्षा अधिकारी के पास सौ प्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने हेतु या विश्वास करने का कारण हो कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के आधीन मान्यता दत्त किसी विद्यालय में मान्यता की शर्तों में से 1 या उससे अधिक शर्तो का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रति मानव एवं मांगों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो वह निम्न वत कार्यवाही करेगा:-

(क) मान्यता स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करेगा और उससे एक माह के अंदर स्पष्टीकरण मांगेगा।

(ख) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक ना पाया जाए या निर्धारित समयावधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी किसी ऐसे तीन सदस्यों की सहमति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कर आएगा जिसमें सरकारी प्रतिनिधि और एक शिक्षाविद् होगा समिति विद्यालय के समय जांच कर मान्यता रद्द जारी रखने का या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपने आख्या ऐसे निरीक्षण की तिथि के 20 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी ऊपर संदर्भित समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा एवं जिला मजिस्ट्रेट को समिति के सदस्यों परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(2) समिति की संस्तुतियों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालय से स्पष्टीकरण की उपेक्षा करते हुए 10 दिन के भीतर पत्र भेजकर विद्यालय को स्पष्टीकरण देने के लिए 30 दिन का समय देगा और प्राप्त स्पष्टीकरण का समय एक परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों दस्तावेजों के आधार पर अपनी संस्तुति राज्य के शिक्षा विभाग को 1 माह की अवधि के भीतर प्रेषित करेगा।

परंतु यह कि जिला मजिस्ट्रेट काया पर अधिकार होगा कि वह समिति की संस्तुति का राज्य शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किए जाने के पूर्व पुनः परीक्षण करा ले ।

(3) उप नियम (2)में संदर्भित संस्तुतियों के आधार पर राज्य का शिक्षा विभाग संस्कृति या प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा और उक्त के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा।

(4) राज्य के शिक्षा विभाग के मिनिस्टर के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय को प्रदान की गई मान्यता रद्द करने का मुख्य सा देश विदेश चाय की प्राप्ति के दिनांक से 7 दिन के भीतर पारित करेगा मान्यता रद्द किए जाने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षणिक सत्र से प्रचलित होगा तथा उसमें ऐसे पड़ोसी विद्यालयों की विनिर्दिष्ट होंगे जिसमें मान्यता रद्द किया गया विद्यालयों के बच्चों का प्रवेश किया जाएगा।

(5) उप नियम (4) के अंतर्गत किया गया आदेश संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भी सन सूचित किया जाएगा तथा उसे वेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।

Scanned with CamSca

(6) मान्यता प्रत्याहारा विषयक उपर्युक्त कार्यवाही में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (5)अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

VI- **गैर मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन अवैधानिक**

यदि प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन बिना किसी मान्यता के किया जा रहा है तो उसका संचालन नियम विरुद्ध अवैधानिक समझा जाएगा ऐसे विद्यालयों के संचालन को तत्काल प्रतिबंधित करते हुए संबंधित प्रबंध अभिकरण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाएगा।

3- कृपया उपर्युक्त नियमों से समस्त संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए भविष्य में इन नियमों के अनुसार ही अग्रसर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मान्यता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक-(प्रपत्र-1)

भवदीय

(डेव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त विभाग/कार्मिक विभाग न्याय विभाग उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मंडलआयुक्त उ0प्र0।
4- समस्त जिला अधिकारी उ0प्र0।
5- राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उ0प्र0।
6- निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ।
7- निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0।
8- निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
9- निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा उ0प्र0।
10- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।
11- अपर निदेशक बेसिक शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।
12- समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
13- समस्त प्राचार्य /उप प्राचार्य डायट उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा)।
14- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा)।
15- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा)।
16- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा)।
17- गार्ड फाइल।

Scanned with CamSca

संख्या–196/अड़सठ–3–2020–2041/2018

प्रेषक,

आर0 वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2020

विषय–अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018, दिनांक–11.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

2– इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक–11.01.2019 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018, दिनांक–11.01.2019 के विषय में अंकित "सहायता प्राप्त" शब्द युग्म को "प्राथमिक एवं" शब्द युग्म से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(I) (17) (क) में यह व्यवस्था है कि विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जा सकता है। इस प्राविधान के कारण अनेक विद्यालयों को, जिनके पास निजी भवन/भूमि नही है, मान्यता प्रदान किये जाने में कठिनाई महसूस की जा रही है। इसके निराकरण हेतु शासनादेश सं0–89/अरसठ–3–2018–2041/2018, दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर– 2(I) (17) (क) के वर्तमान प्राविधानों को तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाता हैः–

"(क) भवन– विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा निजी भवन न होने की स्थिति में न्यूनतम 25 वर्ष की लीज पर ली गयी भूमि अथवा भवन होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जायेगा। प्रश्नगत प्रयोजनार्थ लीज पर ली गई भूमि विवाद रहित होनी चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में लीज पर लिया गया भवन असुरक्षित एवं जर्जर स्थिति में नहीं होना चाहिए एवं पठन–पाठन के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होना चाहिए। स्थानीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत या विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत मान्यता के लिए उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जहां पर महा योजना/सेक्टर प्लान में भू–उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होगा। विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा।"

(3) शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(I), जो अशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (नवीन) की मान्यता हेतु मानक एवं शर्तो से संबंधित है, में अंकित बिन्दु–(30) के पश्चात निम्नलिखित बिन्दु–(31) तथा (32) बढ़ाया जाता हैः–

"(31)– विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा अन्य समस्त सदस्यों द्वारा अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा वोटर आई0डी0 विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।"

"(32)– संबंधित विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार यू–डायस + से संबंधित सूचनायें/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।"

Scanned with CamScanner

Scanned with CamSca

(4) शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(II), जो पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के मानक एवं शर्तो से संबंधित है, के उप प्रस्तर–5 के पश्चात उप प्रस्तर–6, उप प्रस्तर–7 तथा उप प्रस्तर–8 निम्नवत बढ़ाया जाता है:–

उप प्रस्तर–6 "यदि पूर्व से संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में हों, जिसके फलस्वरूप बच्चों के जान–माल का खतरा हो, तो वहां के प्रबन्धतंत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अविलम्ब किसी अन्य निकटवर्ती विद्यालय/विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया जाय ताकि बच्चों के पठन–पाठन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना भी न रहे। इस संबंध में संबंधित संस्था को विद्यालय भवन को ठीक कराने हेतु 06 माह की समय–सीमा निर्धारित करते हुए नोटिस दी जायेगी और यदि नोटिस में दी गयी अवधि के अन्तर्गत जर्जर/असुरक्षित विद्यालय भवन को प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रयोज्य नही बनाया जाता है तो संबंधित संस्था की मान्यता के प्रत्याहरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।"

उप प्रस्तर–7 "विद्यालय प्रबन्धतंत्र का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के उपरान्त संबंधित विद्यालय/शैक्षणिक संस्था में स्थापित अग्नि सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों के पर्याप्त, अद्यावधिक एवं कियाशील होने और भवन के पठन–पाठन हेतु उपयुक्त एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाणपत्र प्राप्त करके संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्तानुसार प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में संबंधित विद्यालय/शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रत्याहरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।"

उप प्रस्तर–8 "जो विद्यालय/संस्था पूर्व से किराये के भवन में संचालित है तथा मान्यता विषयक अन्य समस्त मानकों/प्रतिबन्धों को पूर्ण करते हैं वे यथावत् संचालित रहेंगे बशर्ते उनके द्वारा भवन स्वामी के साथ एतद्विषयक एग्रीमेन्ट प्रपत्र हस्ताक्षरित कर दिया गया हो जिसमें किरायेदारी से संबंधित समस्त शर्ते/प्रतिबन्ध सुस्पष्ट रूप से विहित हों।"

(5) शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(III), जो मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने हेतु समय–सारिणी लागू किये जाने से संबंधित है, में अंकित 'नोट' के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दु–(1) एवं (2) बढ़ाया जाता है:–

"(1) मान्यता हेतु लम्बित आवेदनों के निस्तारण हेतु आवश्यकता होने पर मान्यता समिति द्वारा मासिक बैठक के अतिरिक्त विशेष बैठक भी आहूत की जा सकती है। जनपदीय समिति द्वारा उक्तानुसार निर्धारित समय–सारिणी का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।"

"(2) विद्यालय को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के फोटोग्राफ्स भी लिये जायेगे और अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न किये जायेंगे।"

3– अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक–11.01.2019 द्वारा प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क रू0–10,000/–तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रू–15,000/– की धनराशि जनपद के राजकीय कोषागार में संगत लेखा शीर्षक में जमा किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक–11 जनवरी, 2019 में "सुरक्षित कोष" के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0–1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0–1,50,000(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) की एन0एस0सी0/एफ0डी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज्ड किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इस संबंध में शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(I) के बिन्दु (19) तथा (20) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

Scanned with CamScanner

Scanned with CamSca

"(19)– आवेदन शुल्कः– प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रू0–5,000/– तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए रू0–10,000/–सम्बन्धित जनपद के राजकीय कोषागार में संगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।"

"(20)– सुरक्षित कोषः– प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु सुरक्षित कोष के रूप में रू0–25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की एन0एस0सी0/एफ0डी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम से प्लेज्ड होगी।"

4– शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041, दिनांक–11.01.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक–11.01.2019 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त नियमों से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए भविष्य में इन नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान किये जाने अथवा अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव/प्रमख सचिव, वित्त विभाग/कार्मिक विभाग/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5–महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
6–राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
7–निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
8–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9–निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
10–निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0।
11–सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
12–अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, प्रयागराज।
13–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
14–समस्त प्राचार्य/उप प्राचार्य, डायट, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
15–समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
16–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
17–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
18–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamSca